गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं **I.S.O.-14001-2015** प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 95 / प्रवर्तन जोन–5 / 2023

दिनाँक 04/12/2023

परिशिष्ट–6 प्रपत्र–'ब' / भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट–6, प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स के कम में)

मै0 एस.एम.वी. ऐजेन्सीज प्रा.लि. द्वारा विकसित की जा रही मै0 एस.एम.वी. ऐजेन्सीज प्रा.लि. द्वारा इन्ट्रीग्रेटेड टाऊनशिप योजना ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद के अन्तर्गत भू0सं0–जी0एच0–02 के स्वीकृत मानचित्र मानचित्र सं0–65 / जोन–5 / 2014–15 दिनांक 01.07.2014 के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा निर्मित टावर सं0–D1, D2, D3, D4 & R1 (कुल–05 टावर) व कम्युनिटी हॉल के फ्लेटस के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक 30.11.2023 के कम में पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के निर्गत किया जाता है।

नोटः–

आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के पृष्ठ भाग पर शर्त / प्रतिबन्ध संख्या–1 से 11 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(सुशील कुमार चौबे)
प्रभारी प्रवर्तन जोन–5

शर्ते

1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणो के क्रियाशील होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी। नियमानुसार इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।
2. भवन के स्ट्रक्चरल/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी एवं वाटर सप्लाई, सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेंस/रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर/ए0ओ0ए0 की होगी आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू0पी0 आपर्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू0पी0 अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए0ओ0ए0 को हैण्ड ओवर किया जायेगा। हैण्ड ओवर लेने एवं हैण्ड ओवर देने की ए0ओ0ए0 की एवं बिल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन एवं रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जॉच करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
4. स्वीकृत, शमन मानचित्र, टावर सं0–D1, D2, D3, D4 & R1 व कम्युनिटी हॉल का जारी आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी अनापत्ति, प्रमाण पत्र की समस्त शर्तो एवं प्रतिबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. समस्त रोपित वृक्षो के रख–रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी।
6. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू0पी0 अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी।
7. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग मान्य नहीं होगा।
8. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
9. प्राधिकरण द्वारा भविष्य मे बढे हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मॉग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता/आर0डब्लू0ए0 को प्राधिकरण कोष में निर्धारित समय अवधि में जमा करना होगा।
10. नियमानुसार आर0डब्लू0ए0 के गठन एवं आर0डब्लू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओ आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
11. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जॉच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

अवर अभियन्ता

04/12/23
सहायक अभियन्ता